तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10-1-23	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. पुनः बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली आगामी दिनांक 31-1-23 को पेश हो।
31-1-2023	पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

62 / दावा / 2022
दायरा दिनांक 09.06.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. रामप्रसाद आ0 कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. रामस्वरूव आ0 कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. गोबरी पुत्री कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. तस्वीर पुत्री कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. मंजू पुत्री कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. मन्नू पुत्री कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. मूर्ति पुत्री कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. भैरी बाई बेवा जाति मीणा निवासी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :— 1.श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट(वादीगण)

उपखण्ड अधिकारी

—: निर्णय :—　　　दिनांक :— 31.01.2023

वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 88,89,188 में एक दावा पेश किया जिसके अनुसार ग्राम बसवाड़ा स्थित खसरा संख्या 1092 व ख0सं0 1113 कुल किता 2 कुल रकबा 3.1 हैक्ट0 भूमि जो कि वर्तमान जमाबंदी अनुसार गैर–खातेदारी दर्ज रिर्कोड है उसके अनुसार दिनांक 27.01.1962 को उपनिवेशन नियमानुसार उनके पूर्वज (पिता/पति) को ग्राम बसवाड़ा स्थित गत खसरा संख्या 999/642, 1001/645, 1019/893/586 कुल किता 3 कुल रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा का जरिये ऑक्शन निलामी आवंटन पट्टा जारी किया था, तत्समय देय राशि का एक चौथाई की राशि 307/— रूपये जरिये चालान बुक संख्या 33638 व 33633 से जमा करा दिये गये थे।दिनांक 08.04.1962 को दखलनामा दिया गया जिसके अनुसार आंवटी (कालू आत्मज केसरा) काबिज काश्त है उक्त ऑक्शन विक्रय–पत्र के आधार पर ग्राम बसवाड़ा नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 05.06.1976 से आवंटी को गैरखातेदारी मिलकर दर्ज रिर्कोड है।ख0सं0 962 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा, ख0सं0 963 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, ख0सं0 964 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, ख0सं0 957 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा दर्ज रिर्कोड है, इसमें से ख0सं0 699 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी पहले दे दी गयी थी। मूल आवंटी कालू का देहांत हो जाने से संदर्भित विवादित भूमि जरिये विरासत नामान्तरण वादीगण के नाम खातेदारी व गैरखातेदारी अकिंत हो चुकी है एवं उनके द्वारा ऑक्शन में क्रय की गई गैरखातेदारी भूमि पेटे देय राशि का भुगतान दिनांक 27.05.2021 को राजकोष में जमा करवा दिया वर्तमान ख0सं0 957/3 इससे पूर्व के गत ख0सं0 642 मिन से बना है एवं वर्तमान ख0सं0 1113, गत ख0सं0 962 व गत ख0सं0 962 इससे पूर्व के ख0सं0 945/1 से बना है जो कि आंवटित भूमि के ही वर्तमान में वादीगण के नाम गैरखातेदारी होने की पुष्टि करता है।

उपखण्ड अधिकारी
... (बूंदी)

इसलिए वादीगण को वर्तमान ख0सं0 1092 रकबा 0.90 हैक्ट0 एवं ख0सं0 1113 रकबा 2.21 हैक्ट0 वाके ग्राम बसवाड़ा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।प्रतिवादी ने बिन्दुवार जवाब पेश किया जिसके अनुसार वाद–पत्र की चरण सं0 1, 2 व 4 रिर्कोड से सबंधित होना बताया व चरण सं0 3 के सबंध में यह अकिंत किया कि पटवारी रिर्पोट अनुसार मृत आवंटी के वारिसान मौके पर काबिज काश्त है साथ ही यह आवेदन भी किया कि सक्षम न्यायालय में सिलिंग सबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन है वादी मौके पर काबिज काश्त है।वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अकिंत तथ्यों का दोहराव करते हुए न्यायिक दृष्टांत RRT 2012(2) पेज संख्या 1392 राजस्थान राज्य बनाम रामचरण व अन्य एवं RRT 2011 (2) पेज संख्या 773 रामभरोष बनाम हरदेव व अन्य प्रस्तुत की।बहस सुन पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि ग्राम बसवाड़ा के मिलान क्षेत्रफल संवत 01.04.1995 से संवत 31.03.2015 व मिलान–क्षैत्रफल सवंत 2022 से 2041 के अनुसार ग्राम बसवाड़ा के वर्तमान ख0सं0 1113, ख0सं0 962 व गत ख0सं0 962, पूर्व ख0सं0 645/1 से बने है एवं 957 पूर्व गत ख0सं0 642 मिन से बने है नामान्तकरण पजिंका ग्राम बसवाड़ा के नामान्तकरण संख्या 262 निर्णय दिनांक 05.06.1976 से गत ख0सं0 962, 963, 964, 954 कुल किता 4 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा की गैरखातेदारी कालू वल्द केसरा कौम मीना सा.देह के नाम दर्ज रिर्कोड़ हुई सलंग्न फर्द–अहकाम बाबत विक्रय सरकारी पड़त भूमि दिनांक 27.01.1962 की प्रमाणित प्रति अनुसार ग्राम मुकाम पाली बसवाड़ा जलसेआम संदर्भित ख0सं0 की विक्रय निलामी कालू वल्द केसरा मीना सा.देह पाली के पक्ष में स्वीकृत की गई एवं एक–चौथाई रकम मौके पर जमा करवा दी गई थी।इस प्रकार वादीगण यह सिद्व करने में सफल रहे है कि ग्राम बसवाड़ा स्थित ख0सं0 1092 रकबा 0.90 हैक्ट0, ख0सं0 1113 रकबा 2.21 हैक्ट0 का आवंटन उनके पूर्वज (पिता/पति) स्व0 कालू जाति मीना को हुआ था।जिसके आधार पर वर्तमान राजस्व रिर्कोड उक्त

उपखण्ड अधिकारी
(बून्दी)

ख0सं0 उनके नाम गैरखातेदारी दर्ज रिर्कोड है एवं मौके वे पर काबिज काश्त है।

अतः ग्राम बसवाड़ा स्थित ख0सं0 1092 रकबा 0.90 हैक्ट0, ख0सं0 1113 रकबा 2.21 हैक्ट0 का सशर्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कि वे राज्यकोष में नियमतः जमा होने वाली बकाया राशि यदि कोई है तो वो तहसीलदार के मांग–पत्र अनुसार जमा करायेंगें।तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में राजकोष में नियमतः जमा होने वाली राशि का आंकलन कर उसके राजकोष में जमा होने की जांच कर बकाया राशि बाबत वादीगण को सूचित कर बकाया राशि को राजकोष में जमा होने की पुष्ठि करने के बाद उक्त आदेश का राजस्व रिर्कोड में अमल करावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो निर्णय लिखवाया जाकर दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

प्राथमिक डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............................ मुकाम........................लाखेरी..................व
इजलास.........................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1 रामप्रसाद आ0 कालू जा0 मीणा नि0 बसवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 ।
2 रामस्वरूप आ0 कालू जा0 मीणा नि0 बसवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3 गोबरी पुत्री कालू जा0 मीणा नि0 बसवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
4 तस्वीर पुत्री कालू जाति मीणा निवासी बसवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
5 मंजू पुत्री कालू जा0 मीणा नि0 बसवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
6 मन्नू पुत्री कालू जा0 मीणा नि0 बसवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
7 मूर्ति पुत्री कालू जा0 मीणा नि0 बसवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
8 भैरी बाई बेवा जा0 मीणा नि0 बसवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

(वादी)

बनाम 1 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88,89, 188 आर0टी0एक्ट।.................

मुकदमा नम्बर...............................62 / दावा / 2022.......................................सन.......................................
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे...
............व हाजिरी

1.श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट(वादी)... मिनजानिब मुद्दई...
....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बसवाडा स्थित ख0सं0 1092 रकबा 0.90 हैक्ट0 , ख0सं0 1113 रकबा 2.21 हैक्ट0 का सशर्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कि वे राज्यकोष में नियमत: जमा होने वाली बकाया राशि यदि कोई है तो वो तहसीलदार के मांग–पत्र अनुसार जमा करायेंगे। तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में राजकोष में नियमत जमा होने वाली राशि का आंकलन कर उसके राजकोष में जमा होने की जांच कर बकाया राशि बाबत वादीगण को सूचित कर बकाया राशि को राजकोष में जमा होने की पुष्टि करने के बाद उक्त आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अमल करावें।

....निज.......................................मुबलिग.......................................बाबत..........
........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 01 सन 2023 ....को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
1 स्टाम्प अर्जीदावा			1 स्टाम्प अर्जीदावा		

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्ताफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)